

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 40/2019

श्री दिनेश बावेजा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर जरिये रजिस्ट्रारं
3. सम्भागीय आयुक्त, (भू-राजस्व), जोन बीकानेर।
4. जिला न्यायाधीश, (भू-राजस्व), श्रीगंगानगर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 11.02.2019

आदेश की दिनांक : 04.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरपत सिंह किशनावत, अधिवक्ता उपस्थित

समक्ष :- श्री लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
श्री असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री नरपत सिंह किशनावत उपस्थित।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामले की सुनवाई दिनांक 14.02.2024 को अधिवक्ता के समक्ष हुई थी जिसमें जारी आदेश दिनांक 14.02.2024 में अपीलार्थी के अधिवक्ता की त्रुटिवश अनुपस्थिति दर्ज करदी गई थी, अतः उक्त आदेश में त्रुटि सुधार कर उपस्थिति दर्ज की जावे।
3. प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अधिकरण के आदेश दिनांक 14.02.2024 में अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में त्रुटि सुधार करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में उक्त दिनांक 14.02.2024 को सुनवाई के दौरान एवं जारी आदेश में अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नरपत सिंह किशनावत की उपस्थिति अंकित की जावे एवं मूल आदेश दिनांक 14.02.2024 में अपीलार्थी अधिवक्ता की उपस्थिति लाल-सुर्ख स्याही से अंकित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य